पत्रांक- [illegible]

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग।

प्रेषक,

उदय कुमार सिंह,
उप सचिव।

सेवा में,

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली-110092.

पटना, दिनांक:-

विषय:- डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, नवीनगर, औरंगाबाद को अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना सं.-238, दिनांक-3.4.06 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, ~~[illegible]~~ [औरंगाबाद] से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा दिनांक-10.9.08 को विभागीय समिति में की गई तथा डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, नवीनगर, औरंगाबाद को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है। समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत है:-

1- विद्यालय का संचालन निबंधित डी.ए.वी. मैनेजमेंट कमिटी, नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है तथा विद्यालय ने निबंधित सोसाईटी में एक परिवार का प्रभुत्व न होने का प्रमाण पत्र समर्पित किया है। ट्रस्ट के सदस्यों की सूची भी गयी है। ट्रस्ट के निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। शर्तों के अनुरूप विद्यालय के ट्रस्ट के प्रत्येक सदस्य के वास्तविक पता को स्पष्ट करना चाहिए। सदस्यों की सूची संलग्न है।

2- विद्यालय ने किसी निबंधित सोसाईटी/न्यास के फ्रेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।

3- विद्यालय को निबंधन के माध्यम से 2 एकड़ 21.5 डी. भूमि उपलब्ध है, जिस पर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के मापदंड के अनुसार कमरे निर्मित है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं बोर्ड के मानक के अनुरूप है।

4- विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया द्वारा करने की दावा की गयी है तथा शिक्षकों की नियुक्ति विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है, परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए

(क्र. पृ. उ.)

पारदर्शिता बरती गयी हो, किन्तु प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है, इसका अनुपालन शीघ्र करने का निर्देश दिया गया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा ~~के~~ परिषद के मापदण्डों के अनुरूप है।

5- विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6- विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष प्रकाशित करने का आश्वासन दिया गया है।

7- विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे केन्द्रीय ~~[illegible]~~ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

7- विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या-238, दिनांक-3.4.06 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार है, अपेक्षित शर्तों के अनुसार:-

(i) विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकायें तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/-रुपया प्रतिवर्ष होगी।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के. जी. अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए ~~[illegible]~~ किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक होता है तो खुले तरीका से ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/के. जी. तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) अपेक्षित शर्तें स्वीकार की गयी है, किन्तु कोई प्रमाण पत्र नहीं सुलभ कराया गया है। जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

(क्र. पृ. उ.)

8– यद्यपि उक्त विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है, फिर भी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9– साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्तें सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख को प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10– विभागीय पत्रांक–46, दिनांक–18.1.08 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11– विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

12– उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्तों के आधार पर तथा डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल नबीनगर, औरंगाबाद को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है।

विश्वासभाजन,

अनु. :– जि0 शि0 पदा0, औरंगाबाद
का प्रतिवेदन संलग्न है।

ह0/–
(उदय कुमार सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 382   पटना, दिनांक :– 11/06/09

प्रतिलिपि:– प्राचार्य, डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, नबीनगर, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(उदय कुमार सिंह)
उप सचिव
11/6/09

Principal
D.A.V. Public School
Nabinagar
Aurangabad (Bihar)

MANAGER
D.A.V. PUBLIC SCHOOL
NABINAGAR
Aurangabad (Bihar)